सं0स0–वि0–06 / सू0अ0 (04)–05 / 2025..... / वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय / अंकेक्षण निदेशालय / सांस्थिक वित्त निदेशालय
सभी संयुक्त सचिव / संयुक्त आयुक्त / उप सचिव / उपायुक्त / अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:.....

विषय :– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ petition (Civil) No.-990/2021 में पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार सूचना आयोग का पत्रांक–614 दिनांक–06.08.2026 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–15838 दिनांक–31.08.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Writ petition (Civil) No.-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 को राज्य के सभी विभागों / कार्यालयों में लागू करने / करवाने हेतु बिहार सूचना आयोग तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कई बार निदेशित एवं स्मारित किया गया है। किंतु अभी भी धारा–4 के अनुपालन में वांछित सूचना का स्वप्रेरण प्रकटन लोक प्राधिकारों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2. विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 में अंतर्निहित मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकार अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से व्यवस्थित और सूचीबद्ध रखेंगे।

(ख) ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए आवश्यक हो, उनका युक्तियुक्त समय में कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

(ग) लोक प्राधिकार अपने संगठन की संरचना, कार्य एवं कर्त्तव्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसमें पर्यवेक्षण / जवाबदेही संबंधी व्यवस्था, कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम / विनियम / अनुदेश / निर्देशिका एवं अभिलेखों का प्रकाशन करेंगे।

(घ) लोक प्राधिकार के लिए अपने द्वारा अथवा अपने नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

(ड.) महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों से संबंधित तथ्यों को, जो जनता को प्रभावित करते हों, को प्रकाशित किया जाना लोक प्राधिकार के लिए आवश्यक होगा।

(च) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरणों का प्रकाशन किया जाना भी अपेक्षित होगा। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (Directory) का प्रकाशन किया जाना भी वांछित है।

(छ) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह सूचना का अधिकार नियमावली में अंतर्निहित अपेक्षाओं के अनुसार स्व–प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम–से–कम अवलंब लेना पड़े।

(ज) लोक प्राधिकार द्वारा प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जायेगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य (easily accessible) हो।

3. अतएव अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा सामान्य प्रशासन विभाग/बिहार सूचना आयोग के पत्र के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम–से–कम सहारा लेना पड़े।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं0स0– वि0–06/सू0अ0 (04)–05/2025 2548 वि0, पटना/ दिनांक : 18/9/2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/26

सरकार के अवर सचिव।